न्यायालय राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश, ग्वालियर

समक्ष : **मनोज गोयल**

अध्यक्ष

प्रकरण क्रमांक निगरानी 1605-पीबीआर/2012 विरूद्ध आदेश दिनांक 7-2-2012 पारित द्वारा कलेक्टर ऑफ स्टाम्प जिला धार, प्रकरण क्रमांक 196/बी-103/09-10

1-सुनील कुमार पिता मांगीलाल
2-सीताराम पिता घासीराम
निवासी ग्राम पिपल्दा तहसील व जिला धार म0प्र0

.....आवेदकगण

विरूद्ध

1-म0प्र0शासन द्वारा कलेक्टर ऑफ स्टाम्प जिला धार
2-शाखा प्रबंधक एचडीएफसी बैंक शाखा धार म0प्र0

.....अनावेदकगण

श्री पी0जी0पाठक, अभिभाषक, आवेदकगण
श्री हेमन्त मूंगी, अभिभाषक, अनावेदक क्रमांक 1

:: आ दे श ::

(आज दिनांक 11/7/18 को पारित)

आवेदक द्वारा यह निगरानी भारतीय स्टाम्प अधिनियम, 1899 (जिसे संक्षेप में अधिनियम कहा जायेगा) की धारा 56 के अंतर्गत कलेक्टर ऑफ स्टाम्प जिला धार द्वारा पारित आदेश दिनांक 07-02-2012 के विरूद्ध प्रस्तुत की गई है ।

2/ प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार हैं कि आवेदकगण द्वारा ग्राम पिपल्दा की कृषि भूमि 4.855 हेक्टेयर को भार सहित कर 8,00,000/- का ऋण हार्वेस्टर क्रय करने हेतु एचडीएफसी बैंक लिमिटेड धार के मध्य घोषणा पत्र का निष्पादन किया गया, उक्त घोषणा पत्र

पंजीयन हेतु उपपंजीयक धार के समक्ष दिनांक 9-9-2010 को प्रस्तुत किया गया । अधीनस्थ न्यायालय द्वारा प्रकरण क्रमांक 196/बी-103/09-10 दर्ज कर दिनांक 7-2-2012 को आदेश पारित कर हार्वेस्टर को कृषि उपकरण न मानकर उपपंजीयक के द्वारा उक्त घोषणा पत्र पर 5 प्रतिशत अर्थात 40,000/- स्टाम्प शुल्क आरोपित किया गया । कलेक्टर ऑफ स्टाम्प के इसी आदेश के विरूद्ध यह निगरानी इस न्यायालय में प्रस्तुत की गई है ।

3/ आवेदकगण के विद्वान अभिभाषक द्वारा लिखित तर्क में मुख्य रूप से निम्नलिखित आधार उठाये गये है :-

(1) हार्वेस्टर का उपयोग एक मात्र कृषि के उपयोग में ही आता है, इसके अतिरिक्त हार्वेस्टर का उपयोग किसी भी अन्य कार्य में नहीं किया जा सकता है । ऐसी स्थिति में हार्वेस्टर को कृषि उपकरण न मानने में अधीनस्थ न्यायालय द्वारा त्रुटि की गई है ।

(2) अधीनस्थ न्यायालय द्वारा इस कानूनी पहलू को नजरअंदाज किया गया था कि बैंक द्वारा हार्वेस्टर क्रय किये जाने हेतु ऋण प्रदान किया गया । ऋण कृषि प्रयोजन के अन्तर्गत आता होने से उक्त ऋण पर मुद्रांक शुल्क एवं प्रतिभूति शुल्क आरोपित नहीं किया जा सकता है।

(3) अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित आदेश के अनुसार जो भार आरोपित किया गया है, उसे सिद्ध करने का भार शासन का था, ऐसी स्थिति में जो आदेश पारित किया गया है वह बिना किसी साक्ष्य के एवं अनुमान के आधार पर पारित किया गया होकर त्रुटिपूर्ण है ।

(4) अधीनस्थ न्यायालय द्वारा जो प्रक्रिया अपनाई गई है वह अवैधानिक होकर भारतीय मुद्रांक अधिनियम की धारा33 एवं धारा 38-ख एवं मुद्रांक शुल्क एवं पंचायत अधनियम 1993 की धारा 75 के प्रावधानों एवं नियमोंके विपरीत होने से अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित आदेश निरस्त किये जाने योग्य है ।

4/ अनावेदक क्रमांक 1 शासन के विद्वान अधिवक्ता द्वारा तर्क में मुख्य रूप से यही कहा गया कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अधिरोपित मुद्रांक शुल्क सही होने से उनका आदेश स्थिर रखा जाकर निगरानी निरस्त की जाये ।

5/ उभयपक्ष के विद्वान अभिभाषक द्वारा प्रस्तुत तर्कों के संदर्भ में अभिलेख का अवलोकन किया गया । अभिलेख के अवलोकन से स्पष्ट है कि आवेदकगण द्वारा एचडीएफसी बैंक लिमिटेड जिला धार से रूपये 8,00,000/- का ऋण हार्वेस्टर क्रय करने हेतु लिया है, जिस पर म0प्र0शासन की अधिसूचना क्रमांक 44/बी-4-29/6/2/5 दिनांक 25-9-06 में "ख" में कृषिक

प्रयोजन से अभिप्रेत है, में स्पष्ट उल्लेख किया है कि हार्वेस्टर का क्रय किया जाना कृषि उपयोग नहीं है तथा मुद्रांक अधिनियम की अनुसूची 1-क के अनुच्छेद 38ख के अनुसार प्रतिभूत की राशि पर 4 प्रतिशत की दर से मुद्रांक शुल्क एवं पंचायत अधिनियम 1993 की धारा 75 के अनुसार प्रतिभूति शुल्क का 1 प्रतिशत इस प्रकार कुल 5 प्रतिशत अर्थात 40,000/- रूपये मुद्रांक शुल्क प्रभार्य है । अतः कलेक्टर ऑफ स्टाम्प द्वारा मुद्रांक शुल्क रूपये 40,000/- एवं उस पर शास्ति रूपये 1,000/- जमा कराने के आदेश देने में वैधानिक एवं प्रावधानों के अधिनियम के अन्तर्गत कार्यवाही की गई है, इसलिये कलेक्टर ऑफ स्टाम्प द्वारा पारित आदेश स्थिर रखे जाने योग्य है ।

6/ उपरोक्त विवेचना के आधार पर कलेक्टर ऑफ स्टाम्प जिला धार द्वारा पारित आदेश दिनांक 07-02-2012 स्थिर रखा जाता है । निगरानी निरस्त की जाती है ।

(मनोज गोयल)

अध्यक्ष

राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश

ग्वालियर